



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त हरिलाल पुत्र रहिमाल निवासी 923-मानक नगर थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ के विरुद्ध थाना कैलिया में मु०अ०सं० 08/2001 (वाद संख्या – 56ए/2007) धारा 387/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 22.09.2023 को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हरिलाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कारावास एवं 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल महेन्द्र विक्रम सिंह



कोर्ट पैरोकार सूरज

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice